राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 20(36)ग्रावि/नरेगा/क्रय प्रक्रिया/2010/वर्कशाप जयपुर, दिनांक : 14 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों में संशोधन बाबत।**
प्रसंगः **इस विभाग का पत्र दिनांक 27.04.2012**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र में यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्थान प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्तानुसार आवश्यक संशोधन के संबंध में आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

अब पंचायती राज विभाग की ओर से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 एवं 184 में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं, जिनकी प्रति संलग्न है। अब इसी अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

सं. एफ(7)एम/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/930 जयपुर, दिनांकः 02-5-2012

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 181 का प्रतिस्थापन.**- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 181 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"181.**संविदा पर संकर्मों का निष्पादन.**-(1)पंचायती राज संस्था किसी संकर्म को संविदाकारों के माध्यम से भी निष्पादित कर सकेगी जब तक कि संविदाकार के माध्यम से ऐसे संकर्म का निष्पादन सम्बन्धित स्कीम के मार्गदर्शक सिद्वान्तों द्वारा निर्बंधित न हो ।

(2)उप-नियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायती राज संस्था कर्मकारों को मस्टर रोल पर अभिनियोजित कर किसी संकर्म का निष्पादन कर सकेगी ।

(3)पंचायती राज संस्था उपर्युक्त उप-नियम(2) के अधीन निष्पादित किये जाने वाले संकर्मों के लिए, संकर्म सामग्री के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित करने की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात, संविदा के आधार पर सामग्री का उपापन कर सकेगी ।

3. **नियम 184 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 184 के नीचे आये टिप्पण में विद्यमान अभिव्यक्ति "2,00,000/–रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5,00,000/–रूपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(किशन लाल बार्डटिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2. निजी सचिव, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, मुख्यालय ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद (समस्त),राजस्थान ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति(समस्त), राजस्थान ।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT)

NOTIFICATION

No. F.4 (7) Am/Rule/Legal/PR/2012/930 Jaipur, Dated 03-5-2012

In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayti Raj (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of rule 181.- The existing rule 181 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"181. Execution of works on contract.- (1) Panchayati Raj Institution may also execute any work through contractors unless execution of such work through contractor is otherwise restricted by the guide-lines of Scheme concerned.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) Panchayati Raj Institution may execute any work by deploying workers on muster-rolls.

(3) Panchayati Raj Institution may procure material on contract basis for works to be executed under sub-rule (2) above, after following the due procedure for inviting tenders for purchase of construction material.

3. Amendment of rule 184.- In the Note appearing below rule 184 of the said rules, for the existing expression "Rs.2,00,000/-", the expression "Rs. 5,00,000/-" shall be substituted.

By order of the Governor,

(KISHAN LAL BADETIA)

Deputy Secretary to Government

Copy to-

1-Director, Government Central Press, Jaipur to publication in Gazette(EO) Part 4 (C), (GSRI) Sub Division – 1

2-PS to Hon'ble Minister, RD & PR, Rajasthan, Jaipur.

3-PS to Hon'ble State Minister, RD & PR, Rajasthan, Jaipur.

4-PS to Addl, Chief Secy.,Rural Dev. & Panchayati Raj, Rajasthan, Jaipur.

5-PS to Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

6-PS to Secretary, Rural Development, Rajasthan, Jaipur

7-PS to Secy. cum Commissioner, Panchayati Raj, Jaipur.

8-All Officers, RD & PR Hqr.

9-Chief Executive Officers, All Zila Parishads, Rajasthan.

10-Block Development Officer. All Panchayat Samities,Rajasthan.

11-Guard file.

Dy. Secretary to Government